उत्तर प्रदेश शासन
खेल अनुभाग
22/संख्या- 2125/बयालिस-2014-08(निर्माण)/2012
लखनऊ : दिनांक : 22 अगस्त, 2014

<u>शुद्धि-पत्र</u>

जनपद चित्रकूट में स्पोर्टस स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश संख्या- 1920/बयालिस-2013-08(विविध)/2012, दिनांक 12 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-2 की प्रथम पंक्ति में त्रुटिवश "वर्ष 2013-14" अंकित हो गया है जबकि उक्त के स्थान पर "वर्ष 2014-15" होना चाहिए।

अत: प्रस्तर-2 में "वर्ष 2013-14" के स्थान पर "वर्ष 2014-15" पढ़ा जाये।
उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

<u>संख्या- 2125(1)/बयालिस-2014-तददिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(4)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(5)- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
(6)- निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
(11)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in